भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 104
30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि संकट और आत्महत्या की घटनाएं

***104. श्री के. ई. प्रकाश:**

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तमिलनाडु में कृषि संकट और किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मुद्दे का समाधान करने के लिए कोई पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु में किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के आंकड़े क्या हैं और इनकी पहचान किस आधार पर की गई है;

(ग) कृषि संकट और किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के प्रमुख कारण क्या हैं और इनकी पहचान किस आधार पर की गई है;

(घ) किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा की गई उपरोक्त पहलें पर्याप्त हैं और यदि नहीं, तो इस अंतर को पाटने के लिए क्या सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 30.07.2024 को उत्तरार्थ "कृषि संकट और आत्महत्या की घटनाएं" के संबंध में श्री के. ई. प्रकाश द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 104 के भाग (क) से (ङ) का उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): भारत सरकार किसानों के मुद्दों के प्रति बहुत संवेदनशील है और किसानों की परेशानी को लेकर चिंतित है। भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों और बजटीय सहायता और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों और किसानों के कल्याण में सहायता करती है। वर्ष 2013-14 में सहकारिता मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, और मत्स्य पालन विभाग का बजट आवंटन जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अभिन्न अंग थे, केवल 30,223.88 करोड़ रुपये था। 2024-25 में इन मंत्रालयों का बजट 267721.57 करोड़ रुपये है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ-साथ अन्य हितधारक मंत्रालय जैसे सहकारिता मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय आदि ने कृषि को अधिक लाभकारी बनाने और किसानों को अधिकतम लाभ दिलाने के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम शुरू किए हैं।

भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है और नीतिगत उपायों और योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से इन मुद्दों के समाधान के लिए कई पहल की हैं। किसानों के कल्याण के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम उत्पादन बढ़ाने, लाभकारी रिटर्न दिलाने और किसानों को आय सहायता देने पर केंद्रित हैं। किसानों के कल्याण के लिए भारत सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम हैं पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), संस्थागत ऋण (केसीसी), कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना, बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच), आदि। खेती को अधिक लाभकारी बनाने और किसानों को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित बनाने के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है। तमिलनाडु के किसानों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए उपायों का विवरण भी **अनुबंध** में मोटे अक्षरों में दिया गया है।

गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन 'भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या' (एडीएसआई) में आत्महत्याओं पर जानकारी संकलित और प्रसारित करता है। 2022 तक की राज्यवार रिपोर्ट एनसीआरबी की वेबसाइट (https://ncrb.gov.in) पर उपलब्ध है। ADSI रिपोर्ट में किसानों की आत्महत्या के अलग-अलग कारण नहीं बताए गए हैं।

अनुबंध

क्र. सं.	योजना का नाम	उद्देश्य
I.	सेंट्रल सेक्टर की योजनाएं	
1.	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	पीएम-किसान सेंट्रल सेक्टर की योजना एक है जिसे 24 फरवरी 2019 को भूमिधारक किसानों, कुछ अपवादों के अधीन, वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में तीन बराबर चार-मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है। **अब तक, 11 करोड़ से अधिक लाभार्थियों (किसानों) को विभिन्न किस्तों में डीबीटी के माध्यम से 3.24 लाख करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं, जिनमें से 10,900.69 करोड़ रुपये तमिलनाडु में 46.07 लाख से अधिक लाभार्थियों को दिए गए हैं ।**
2.	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई)	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई) सबसे कमजोर किसान परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई केंद्रीय सेक्टर की योजना है। पीएम-केएमवाई अंशदायी योजना है जिसमें छोटे और सीमांत किसान (एसएमएफ)को बहिष्करण मानदंडों के अधीन, पेंशन फंड में मासिक सदस्यता का भुगतान करके योजना का सदस्य बनने का विकल्प है। इसी तरह, केंद्रीय सरकार द्वारा धनराशि का अंशदान किया जाएगा। 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु का होने पर प्रति माह 55 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच अंशदान करना होगा। पीएमकेएमवाई किसानों की बुढ़ापे में देखभाल कर रही है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद नामांकित किसानों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करती है, जो बहिष्करण मानदंडों के अधीन है। जीवन बीमा निगम (एलआईसी) पेंशन फंड मैनेजर है और लाभार्थियों का पंजीकरण सीएससी और राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है। **अब तक, 23.38 लाख किसान इस योजना के अंतर्गत नामांकित हो चुके हैं, जिनमें से 1,10,593 किसान तमिलनाडु से हैं।**
3.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को 2016 में शुरू किया गया था, ताकि किसानों को फसल बुवाई से पहले से लेकर फसल कटाई के बाद तक सभी गैर-निवारणीय प्राकृतिक जोखिमों की स्थिति में फसलों के लिए व्यापक जोखिम कवर सुनिश्चित करने और पर्याप्त दावा राशि प्रदान करने के लिए एक सरल और सस्ती फसल बीमा उत्पाद प्रदान किया जा सके। यह योजना मांग आधारित है और सभी किसानों के लिए उपलब्ध है। **वर्ष 2016-17 से इस योजना के तहत कुल 6306.70 लाख किसान आवेदनों का बीमा किया गया, जिनमें से 328.4 लाख तमिलनाडु से थे और दावे के रूप में 1,63,518.70 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जिसमें से 14,125.10 करोड़ का भुगतान तमिलनाडु में किया गया।**
4.	संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस)	ब्याज छूट योजना (आईएसएस) फसल उगाने और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसी अन्य संबद्ध गतिविधियों में लगे किसानों को रियायती अल्पावधि कृषि

		ऋण प्रदान करती है। आईएसएस उन किसानों के लिए उपलब्ध है जो एक वर्ष के लिए 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 3.00 लाख रुपये तक के अल्पावधि फसल ऋण का लाभ उठाते हैं। ऋण के शीघ्र और समय पर चुकाने के लिए किसानों को अतिरिक्त 3% छूट भी दी जाती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है। आईएसएस का लाभ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) रखने वाले छोटे और सीमांत किसानों को फसल के बाद छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए निगोसीएबल वेयरहाउस रिसीट्स (एनडब्ल्यूआर) के सापेक्ष फसल ऋण के लिए भी है, जो प्राकृतिक आपदाओं और गंभीर प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में उपलब्ध है। इसकी शुरुआत के बाद से, सक्रिय खातों की संख्या और कुल बकाया राशि में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो वित्तीय वर्ष 2013 में 6.5 करोड़ खातों और 3.6 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2024 तक 7.75 करोड़ खातों और 9.8 लाख करोड़ रुपये हो गई है। यह विस्तार किसानों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को कुशलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम बनाते हुए निर्बाध ऋण समाधान प्रदान करने में केसीसी की प्रभावशीलता को उजागर करता है।
5.	एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फ़ंड (एआईएफ़)	मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करने और कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर ढांचे में निवेश जुटाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एग्री इंफ्रा फंड लॉन्च किया गया था। देश के कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के परिदृश्य को बदलने की दृष्टि से एआईएफ की शुरुआत की गई थी। एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फ़ंड ब्याज छूट और ऋण गारंटी समर्थन के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर और सामुदायिक खेती की संपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा है। योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपये का कोष वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26 तक वितरित किया जाएगा और योजना के तहत सहायता वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2032-33 की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए सीजीटीएमएसई के तहत 3% प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी कवरेज के साथ 1 लाख करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, प्रत्येक इकाई विभिन्न एलजीडी कोडों में स्थित 25 परियोजनाओं तक के लिए योजना का लाभ पाने के लिए पात्र है। पात्र लाभार्थियों में किसान, कृषि उद्यमी, स्टार्ट-अप, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस), विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, केंद्रीय/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं, राज्य एजेंसियां, कृषि उपज विपणन समितियां (मंडियां), राष्ट्रीय एवं राज्य सहकारी संघ, एफपीओ (किसान उपज संगठन) के संघ और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के संघ शामिल हैं। **दिनांक 16-07-2024 तक, 70,762 परियोजनाओं के लिए 44,824 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिनमें से तमिलनाडु में 529 परियोजनाओं के लिए 217.10 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।**
6.	नये 10,000 एफपीओ का गठन एवं संवर्धन	भारत सरकार ने वर्ष 2020 में "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन" के लिए सेंट्रल सेक्टर योजना (सीएसएस) शुरू की। इस योजना का कुल बजटीय परिव्यय 6865 करोड़ रुपये है। एफपीओ का गठन और संवर्धन

		कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) के माध्यम से किया जाना है, जो आगे 5 वर्ष की अवधि के लिए एफपीओ बनाने और उन्हें पेशेवर सहायता प्रदान करने के लिए क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) को शामिल करती हैं। एफपीओ को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति एफपीओ 18.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त, एफपीओ के प्रत्येक किसान सदस्य को 2,000 रुपये तक के इक्विटी अनुदान का प्रावधान किया गया है, जिसकी सीमा 15.00 लाख रुपये प्रति एफपीओ है और एफपीओ को संस्थागत ऋण सुलभता सुनिश्चित करने के लिए पात्र ऋणदाता संस्थान से प्रति एफपीओ 2 करोड़ रुपये तक के परियोजना ऋण की ऋण गारंटी सुविधा भी दी गई है। एफपीओ के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, एफपीओ को राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया है, जो पारदर्शी मूल्य खोज पद्धति के माध्यम से अपने कृषि वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा प्रदान करता है ताकि एफपीओ को अपनी उपज के लिए बेहतर लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। अब तक इस योजना के तहत कुल 8,872 एफपीओ पंजीकृत किए गए हैं।
7.	राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)	मधुमक्खी पालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास तथा "स्वीट रिवोल्यूशन" के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से इसके कार्यान्वयन के लिए 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) नामक एक नई सेंट्रल सेक्टर योजना शुरू की गई थी। इसकी कुछ उपलब्धियां नीचे दी गई हैं; • कृषि के लिए 5वें इनपुट के रूप में मधुमक्खियों/मधुमक्खी पालन को मंजूरी दी गई है। • शहद के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) के तहत 4 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं और 35 मिनी शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं स्वीकृत की गई हैं। • मधुमक्खी पालकों/शहद समितियों/फर्मों/कंपनियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए **मधुक्रांति पोर्टल** शुरू किया गया है। • देश में 10,000 एफपीओ योजना के तहत 100 शहद एफपीओ को लक्ष्यित किया गया है। नेफेड, एनडीडीबी और ट्राइफेड द्वारा 100 एफपीओ पंजीकृत किए गए हैं। • पोर्टल पर लगभग 14,822 मधुमक्खी पालक/मधुमक्खी पालन एवं शहद समितियां/फर्म/कंपनियां पंजीकृत हैं, जिनकी 23 लाख मधुमक्खी कॉलोनियां हैं।
8.	बाज़ार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस-पीएसएस)	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) चलता है। बाजार हस्तक्षेप योजना ऐसी कृषि और बागवानी वस्तुओं की खरीद के लिए (एमआईएस) है जो जल्दी खराब होने वाली होती हैं और मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत नहीं आती हैं। हस्तक्षेप का उद्देश्य इन वस्तुओं के उत्पादकों को ऐसी चरम आवक अवधि के दौरान बम्पर फसल की स्थिति में विवशता में बिक्री से बचाना है, जब कीमतें आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से नीचे गिर जाती हैं।
9.	नमो ड्रोन दीदी	सरकार ने हाल ही में 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2024-25 से 2025-26 की अवधि के लिए महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए सेंट्रल सेक्टर योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य कृषि उद्देश्य (उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल) के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत, ड्रोन की खरीद के लिए महिला एसएचजी को ड्रोन और सहायक उपकरण/सहायक शुल्क की लागत

		का 80% की दर से अधिकतम 8.0 लाख रुपये तक केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एसएचजी के क्लस्टर स्तरीय संघ (सीएलएफ) राष्ट्रीय कृषि इंफ्रा फाइनेंसिंग सुविधा (एआईएफ) के तहत शेष राशि (खरीद की कुल लागत माइनस सब्सिडी) ऋण के रूप में जुटा सकते हैं। सीएलएफ को एआईएफ ऋण पर 3% की दर से ब्याज छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना स्वयं सहायता समूहों को स्थायी व्यवसाय और आजीविका सहायता भी प्रदान करेगी तथा वे प्रति वर्ष कम से कम 1.0 लाख रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे।
II	**केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ**	
II. (i) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना		
10.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आधारित योजनाएँ (आरकेवीवाई-डीपीआर)	यह योजना कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में फसल कटाई के पहले से लेकर बाद के इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर केंद्रित है जो किसानों को गुणवत्तापूर्ण इनपुट, बाजार सुविधाएं आदि की आपूर्ति में मदद करती है। यह राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में गतिविधियां चलाने के लिए स्थानीय किसानों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार परियोजनाओं को लागू करने के लिए ढील और स्वायत्तता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास और किसानों की आय में वृद्धि के लिए विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के संसाधनों की कमी को पूरा करना है। **2021-22 से 2023-24 के दौरान, इस योजना के तहत तमिलनाडु को कुल 458.03 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया था।**
11.	मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी)	मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है और साथ ही मृदा स्वास्थ्य और इसकी उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित खुराक पर सिफारिश करता है। स्वास्थ्य के संकेतक आमतौर पर किसानों के व्यावहारिक अनुभव और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के ज्ञान पर आधारित होते हैं। कार्ड में मृदा स्वास्थ्य संकेतक सूचीबद्ध हैं जिनका आकलन तकनीकी या प्रयोगशाला उपकरणों की सहायता के बिना किया जा सकता है। यह योजना मृदा परीक्षण की एक विकेन्द्रीकृत प्रणाली शुरू करती है जो जीआईएस प्लेटफॉर्म पर एक राष्ट्रव्यापी मृदा उर्वरता मैप विकसित करने में मदद करेगी जिसे आसानी से विकसित की जा रही वास्तविक समय निर्णय समर्थन प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। मृदा उर्वरता मैप विकसित करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान देश भर में 5 करोड़ मृदा नमूने लेने का निर्णय लिया है। **2021-22 से 2023-24 के दौरान, इस योजना के तहत तमिलनाडु को कुल 22.95 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया था।**
12.	वर्षा-आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी)	आरएडी को 2014-15 से चलाया जा रहा है। आरएडी एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर मोड में क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाता है, जो बहु-फसल, चक्रीय फसल, अंतर-फसल, मिश्रित फसल पद्धतियों पर बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि जैसी संबद्ध गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि किसान न केवल आजीविका को बनाए रखने के लिए कृषि रिटर्न को अधिकतम कर सकें, बल्कि सूखे, बाढ़ या अन्य चरम मौसम की घटनाओं के प्रभावों को भी कम कर सकें। वर्ष 2014-15 से अब तक आरएडी कार्यक्रम के तहत 1673.58 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और 7.13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।

		वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान, इस योजना के तहत तमिलनाडु को कुल 90.00 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया।
13.	प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)	सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए, प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना 2015-16 के दौरान शुरू की गई थी। सूक्ष्म सिंचाई से पानी की बचत के साथ-साथ उर्वरक के उपयोग में कमी, श्रम व्यय, अन्य इनपुट लागत और किसानों की समग्र आय में वृद्धि में मदद मिलती है। यह सूक्ष्म सिंचाई के लिए स्रोत निर्माण के पूरक के रूप में अन्य हस्तक्षेप (ओआई) के रूप में सूक्ष्म स्तर पर जल संचयन, भंडारण, प्रबंधन आदि गतिविधियों का भी समर्थन करता है। पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख के लिए कुल आवंटन के 40% तक और अन्य राज्यों के लिए 20% तक अन्य हस्तक्षेप गतिविधियों की आवश्यकता के आधार पर अनुमति दी गई है। **पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत 78.40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जिसमें से 2015-16 से 2023-24 तक तमिलनाडु में 11.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया।** वर्ष 2015-16 से 2023-24 के दौरान इस योजना के अंतर्गत तमिलनाडु को लगभग 3199.78 करोड़ रुपये का कुल बजट आवंटन किया गया।
14.	माइक्रो इरिगेशन फ़ंड (एमआईएफ़)	नाबार्ड के साथ 5000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि का एमआईएफ बनाया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज का विस्तार करने के लिए संसाधन जुटाने में राज्यों को सुविधा प्रदान करना है। वित्तपोषण व्यवस्था के तहत, नाबार्ड राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बाजार से नाबार्ड द्वारा जुटाए गए कोष की संबंधित लागत की तुलना में 3% कम ब्याज दर पर ऋण देता है। एमआईएफ के तहत ऋण पर ब्याज छूट पीडीएमसी के तहत केंद्र द्वारा वहन की जाती है। अब तक एमआईएफ के तहत 4724.74 करोड़ रुपये के ऋण वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। राज्यों को 3387.80 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं। मंत्रालय राज्यों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज छूट प्रदान करता है, जिसे पीडीएमसी योजना से पूरा किया जाता है। बजट 2021-22 के अनुसार, इस फ़ंड की राशि को दोगुना करके 10,000 करोड़ रुपये किया जाना है। एमआईएफ का अब पीडीएमसी में विलय हो गया है।
15.	परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)	परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना है और इस तरह कृषि-रसायनों के उपयोग के बिना जैविक पद्धतियों के माध्यम से स्वस्थ भोजन के उत्पादन में मदद करना है। यह योजना 20 हेक्टेयर के यूनिट क्लस्टर आकार के साथ क्लस्टर मोड में चलाई जाती है। एक समूह में कम से कम 20 किसान शामिल होंगे (यदि व्यक्तिगत जोत कम है तो अधिक हो सकते हैं)। पीकेवीवाई के प्रावधान के अनुसार एक समूह में किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत 38,043 क्लस्टर (प्रत्येक 20 हेक्टेयर वाला) बनाए गए और 8.41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया (एलएसी सहित)। वर्ष 2015 से अब तक कुल 2078.67 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। **वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान, इस योजना के तहत तमिलनाडु को कुल 23.32 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है ।**
16.	कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)	कृषि यंत्रीकरण उप मिशन (एसएमएएम) अप्रैल, 2014 से चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य भारत में कृषि यंत्रीकरण के त्वरित लेकिन समावेशी विकास को उत्प्रेरित करना है। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों तक और उन क्षेत्रों में जहां कृषि बिजली की उपलब्धता कम है, कृषि यंत्रीकरण की पहुंच बढ़ाना, छोटे

		जोत और व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण उत्पन्न होने अनावश्यक व्यय की भरपाई के लिए 'कस्टम हायरिंग केंद्रों' को बढ़ावा देना, उच्च तकनीक और उच्च मूल्य के कृषि उपकरणों के लिए केंद्र बनाना, प्रदर्शन और क्षमता वर्धन गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना और पूरे देश में स्थित निर्दिष्ट परीक्षण केंद्रों पर प्रदर्शन परीक्षण और प्रमाणन सुनिश्चित करना है। अब तक राज्य सरकारों को 7159.83 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, और विभिन्न राज्यों में ट्रैक्टर, पावर टिलर, सेल्फ-प्रोपेल्ड मशीनरी और प्लांट प्रोटेक्शन उपकरण सहित 18.24 लाख से अधिक कृषि मशीनरी और उपकरण वितरित किए गए हैं और 49700 कस्टम हायरिंग सेंटर/हाई-टेक हब/एफएमबी स्थापित किए गए हैं।
17.	फसल अवशेष प्रबंधन	पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 2018-19 से फसल अवशेष प्रबंधन लागू किया गया। इसके उद्देश्यों में वायु प्रदूषण से पर्यावरण की रक्षा करना और फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन को बढ़ावा देकर फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले पोषक तत्वों और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के नुकसान को रोकना शामिल है। इसमें इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की कस्टम हायरिंग के लिए फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य फसल अवशेषों के प्रभावी उपयोग और प्रबंधन के लिए प्रदर्शन, क्षमता वर्धन गतिविधियों और विविध सूचना, शिक्षा और संचार रणनीतियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना भी है। योजना के तहत शुरू से अब तक 3533.07 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और 2,95 लाख से अधिक फसल सीआरएम मशीनरी वितरित की गई हैं। सीआरएम का अब एसएमएएम में विलय हो गया है।
18.	कृषि-वानिकी	कृषि-वानिकी की परिकल्पना राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 की संस्तुति पर की गई थी, जिसका उद्देश्य कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना था। आरकेवीवाई के तहत पुनर्गठित कृषि-वानिकी का उद्देश्य किसानों की आजीविका में सुधार के लिए कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (क्यूपीएम) और प्रमाणन प्रदान करना है।
II (ii). कृषोन्नति योजना		
19.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)	मिशन का उद्देश्य 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों (अर्थात जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) के चिहनित जिलों में स्थायी तरीके से क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से चावल, गेहूं, दालों, मोटे अनाज (मक्का और जौ) और पोषक अनाज का उत्पादन बढ़ाना है। अन्य उद्देश्यों में व्यक्तिगत खेत स्तर पर मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता बहाल करना, किसानों के बीच विश्वास बहाल करने के लिए खेत स्तर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना और फार्म गेट पर फसल कटाई के बाद मूल्यवर्धन शामिल हैं। वर्ष 2021 में यूएनजीए द्वारा इंटेरनेशनल मिलेट्स इयर (आईवाईएम) 2023 की घोषणा के बाद से, सरकार ने आईवाईएम 2023 के उद्देश्य को प्राप्त करने और भारतीय श्रीअन्न को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए एक सक्रिय बहु हितधारक जुड़ाव दृष्टिकोण अपनाया है। देश में पोषक अनाज की नवीनतम उन्नत किस्मों के गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 25 बीज-हब स्थापित किए गए हैं। एनएफएसएम के तहत पोषक-अनाज उप-मिशन अब 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में लागू किया गया है, जिससे श्रीअन्न उत्पादन को और बढ़ावा मिलेगा। उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है जो 1093 किग्रा/हेक्टेयर से बढ़कर 1364 किग्रा/हेक्टेयर हो गई है, जो वर्ष 2018 और 2023 के बीच 25% की वृद्धि दर्शाती है।

		वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान, इस योजना के तहत तमिलनाडु को कुल 150.42 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया।
20.	बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)	एसएमएसपी बीज उत्पादन श्रृंखला सभी पहलुओं को कवर करता है, जिसमें न्यूक्लियस बीज के उत्पादन से लेकर किसानों को प्रमाणित बीजों की आपूर्ति, बीज सेक्टर के विकास के लिए अनुकूल इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना, सार्वजनिक बीज उत्पादक संगठनों को उनकी क्षमता और बीज उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सहायता प्रदान करना, प्राकृतिक आपदाओं की अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए समर्पित बीज बैंक बनाना आदि शामिल हैं। न्यूक्लियस-ब्रीडर-फाउंडेशन-सर्टिफा इड सीड से बीज श्रृंखला को कवर करने वाली प्रभावी निगरानी, दक्षता और पारदर्शिता के लिए, बीज प्रमाणीकरण, ट्रेसिबिलिटी और होलिस्टिक इन्वेंटरी (एसएटीटीएचआई) पोर्टल का पहला चरण 19 अप्रैल, 2023 को लॉन्च किया गया था। **वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान इस योजना के तहत तमिलनाडु को कुल 45.60 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया।**
21.	राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम	भारत सरकार ने 2021 में एक नई केंद्र प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) शुरू की है, जिसका उद्देश्य देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाना है, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस मिशन के तहत 2021-22 से 2025-26 तक अगले 5 वर्षों में 11040 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में 3.28 लाख हेक्टेयर और शेष भारत में 3.22 लाख हेक्टेयर के साथ कुल 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को ऑयल पाम के रोपण के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
22	समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)	समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2014-15 के दौरान फल, सब्जियां, जड़ और कंद फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको और बांस को कवर करते हुए बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए शुरू किया गया था। इसके प्रमुख घटकों में वृक्षारोपण इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, फलों, सब्जियों, मसालों और फूलों के लिए नए बागों और उद्यानों की स्थापना, अनुत्पादक, पुराने और जीर्ण बागों का कायाकल्प, संरक्षित खेती, जैविक खेती को बढ़ावा देना, मधुमक्खी पालन के माध्यम से परागण, बागवानी मशीनीकरण, फसलोपरांत प्रबंधन (पीएचएम) और विपणन इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि शामिल हैं। एमआईडीएच के तहत 2014-15 से 2023-24 तक (दिनांक 01.07.2024 तक), चिन्हित बागवानी फसलों के 13.79 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को कवर किया गया है, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए 905 नर्सरी स्थापित की गई हैं, 1.48 लाख हेक्टेयर पुराने और जीर्ण बागों का पुनरुद्धार किया गया है, 52269 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक पद्धतियों के तहत कवर किया गया और 3.04 लाख हेक्टेयरको संरक्षित खेती के अंतर्गत शामिल किया गया है। **वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान, इस योजना के तहत तमिलनाडु को कुल 326.00 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया।**
23	राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम)	यह योजना राज्य बांस मिशन (एसबीएम)/राज्य बांस विकास एजेंसी (एसबीडीए) के माध्यम से 23 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर) में कार्यान्वित की जा रही है। एनबीएम मुख्य रूप से बांस क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें क्लस्टर दृष्टिकोण मोड के साथ उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ने की परिकल्पना की गई है।

		एनबीएम के तहत, 404 बांस नर्सरी स्थापित की गई हैं, गैर-वन सरकारी और निजी भूमि पर 58981 हेक्टेयर बांस के बागान स्थापित किए गए हैं, 104 बांस उपचार और संरक्षण इकाइयां स्थापित की गई हैं, उत्पाद विकास और प्रसंस्करण इकाइयों की 516 इकाइयां स्थापित की गई हैं और किसानों, कारीगरों और उद्यमियों सहित 23,708 व्यक्तियों का क्षमता वर्धन किया गया है। एनबीएम का अब एमआईडीएच में विलय हो गया है।
24	एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)	आईएसएएम राज्य सरकारों को बाजार संरचनाओं के निर्माण और सुधार, क्षमता वर्धन और बाजार की जानकारी तक पहुँच बनाने के माध्यम से कृषि उपज विपणन को नियंत्रित करने में सहायता करता है। वर्ष 2017-18 के दौरान, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना जिसे ई-नाम योजना के रूप में जाना जाता है, को भी इसका हिस्सा बनाया गया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा एपीएमसी मंडियों के लिए नेटवर्क का काम करता है। 23 राज्यों और 04 केंद्र शासित प्रदेशों की 1389 मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया गया है और 1.77 करोड़ से अधिक किसान और 2.59 लाख व्यापारी ई-नाम पोर्टल पर पंजीकृत हैं।
25	पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन	एमओवीसीडीएनईआर का उद्देश्य मूल्य श्रृंखला मोड में वस्तु-विशिष्ट, संकेंद्रित, प्रमाणित जैविक उत्पादन क्लस्टरों का विकास करना है, ताकि उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ा जा सके और इनपुट, बीज, प्रमाणीकरण से लेकर संग्रहण, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, विपणन और पूर्वोत्तर क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) में ब्रांड निर्माण पहल के लिए सुविधाओं के निर्माण तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए सहायता की जा सके। वर्ष 2015-16 से (दिनांक 30.06.2024 तक), 1150.09 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, 189039 किसानों और 172966 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 379 एफपीओ/एफपीसी बनाए गए हैं।
26	कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)	इस योजना का उद्देश्य नई संस्थागत व्यवस्थाओं जैसे कि जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA) के माध्यम से किसानों तक प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार करके विस्तार प्रणाली को किसान संचालित और किसान उत्तरदायी बनाना है ताकि भागीदारी मोड में विस्तार सुधारों को क्रियान्वित किया जा सके। कृषि विस्तार में की गई डिजिटल पहलों में शामिल हैं; ● विस्तार(VISTAAR)- कृषि संसाधनों तक पहुंचने के लिए वस्तुतः एकीकृत प्रणाली, जिसे कृषि विस्तार के लिए डीपीआई के रूप में विकसित किया जा रहा है। ● अपूर्वा एआई- किसान नवाचारों को कैप्चर करना- एक सहकर्मी से दूसरे सहकर्मी को सीखने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है और विस्तार बॉट के माध्यम से और योजनाओं के प्रभाव आकलन के लिए भी एडवाइसरी रिट्रीवल के लिए सामग्री प्रदान करता है। ● वाधवानी- वास्तविक समय की समाचार निगरानी, तमिल भाषा और इमेज-बेस्ड कपास कीट पहचान के लिए कृषि 24X7 को FLEW/फार्मर प्रोफाइल मैपिंग के साथ जोड़ा जाएगा। ● किसान कॉल सेंटर - विस्तार और अन्य आईटी अनुप्रयोगों के साथ-साथ कृषि विशेषज्ञों के साथ सीधे संपर्क के लिए किसान सारथी (आईसीएआर) के साथ एकीकरण। ● RAWE- विस्तार बॉट और फीडबैक सिस्टम के माध्यम से व्यवहारिक बातचीत के लिए कृषि छात्रों का एकीकरण।

		● आईएमडी- विस्तार के माध्यम से सलाहकार वितरण के साथ-साथ DAMU के माध्यम से एकीकृत मौसम पूर्वानुमान। ● NRLM- विकेन्द्रीकृत विस्तार तंत्र (कृषि सखी, पशु सखी, मत्स्य सखी आदि) - डिजिटल विस्तार पर क्षमता वर्धन – VISTAAR **वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान, इस योजना के तहत तमिलनाडु को कुल 131.11 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया।**
27	डिजिटल कृषि	इस योजना का उद्देश्य कृषि के लिए एक डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करके कृषि में मौजूदा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGPA) में सुधार करना है, जिसे एक खुले स्रोत, खुले मानक और अंतर-संचालन योग्य सार्वजनिक साधन के रूप में बनाया जाएगा, ताकि फसल नियोजन और स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक सूचना सेवाओं, कृषि इनपुट, ऋण और बीमा तक बेहतर पहुँच, फसल आकलन के लिए सहायता, बाज़ार की जानकारी और कृषि तकनीक उद्योग और स्टार्ट-अप के विकास के लिए सहायता के माध्यम से समावेशी, किसान-केंद्रित समाधान सक्षम किए जा सकें। एग्रीस्टैक आर्किटेक्चर में निम्नलिखित आधारभूत लेयर हैं: - ● कोर रजिस्ट्री ● बेस डेटाबेस ● फार्मर्स डेटाबेस: भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी किसान आईडी ● प्लॉट का जियो –रेफेरेंसिंग ● क्रॉप सर्वे, क्रॉप प्लानिंग और ● सॉइल मैपिंग, सॉइल फर्टिलिटी ● स्टेट, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए एकीकृत किसान सेवा इंटरफ़ेस ● डेटा एक्सचेंज

बीज ग्राम कार्यक्रम: किसानों द्वारा बचाए गए बीजों की गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए भारत सरकार बीज ग्राम कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। बीज और रोपण सामग्री (एसएमएसपी) योजना पर उप-मिशन के बीज ग्राम घटक के तहत, अनाज फसलों के लिए बीज लागत का 50% और गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन के लिए दालों, तिलहनों, चारा और हरी खाद फसलों के लिए बीज लागत का 60% प्रति किसान एक एकड़ के लिए उपलब्ध है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को समय पर उन्नत और उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज उपलब्ध कराना है ताकि ग्राम स्तर पर ही बीज उपलब्धता से संबंधित आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके

पिछले तीन वर्षों की वास्तविक प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	जारी की गई निधि (लाख में)	संगठित बीज गांवों की संख्या	लाभार्थियों (संख्या में)
2021-22	1303.31	14136	742747
2022-23	2301.46	8791	755663
2023-24	1604.39	8875	788598

*****